	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 18, मंगलवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 10, 2023 *Asvina 18, Tuesday , Saka 1945- October 10, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त(जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 10, 2023

जी.एस.आर.46 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 10-07-2023 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 10, 2023

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (तृतीय संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 17 का संशोधन.- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 17 के उप-नियम (1) में,

(i) खण्ड (क) के अंत में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "; या" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (क) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"परंतु उपर्युक्त समय कालावधि और वित्तीय सीमा वहां लागू नहीं होगी जहां सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की सेवाएं भाड़े पर ली जानी आवश्यक हो, तब सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की ऐसी सेवाएं भाड़े पर ली जा सकेंगी और पारिश्रमिक ऐसी दर पर संदत्त किया जायेगा जो, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाये।"

[एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.